न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्याः 342/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/488)

वादी बनाम	प्रतिवादीगण
1. नरेश कुमार पुत्र धर्मा राम जाति मेघवाल निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर।	1. गंगा देवी पत्नी मोटा राम जाति मेघवाल निवासी 8 एम एल डी ए तहसील घडसाना। 2. धन्नी देवी पत्नी धर्मा राम जाति मेघवाल निवासी 8 एम एल डी ए तहसील घडसाना। 3. अमित कुमार पुत्र मोटा राम नाबालिग जरिए सरक्षंक माता गंगा देवी पत्नी मोटा राम जाति मेघवाल निवासी 8 एम एल डी ए तहसील घडसाना। 4. पायल कुमारी पुत्री मोटा राम नाबालिग जरिए सरंक्षक माता गंगा देवी पत्नी मोटा राम जाति मेघवाल निवासी 8 एम एल डी ए तहसील घडसाना। 5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 04.11.2025

उपस्थितः1. श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादी

——निर्णय—— **दिनांकः 22.12.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 32/33 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 1.304 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी, प्रतिवादीगण आपसी सहुलियत के अनुसार सहमति से घरू वाहमी बंटवारा किया हुआ है। घरू वाहमी बंटवारानामा अनुसार ही वादी अपने-अपने रकबा पर पिछले काफी समय काश्त करते आ रहे है। वादीगण अपने-अपने रकबा पर काबिज अवश्य है। लेकिन कब्जा काश्त के अनुसार रकबा अंकित नहीं है। हालांकि वादी ने कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत से भूमि को समतल करके, उसमें कई सुविधाओ का निर्माण किया है। वादी की भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 32/33 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 1.304 हैक्टेयर भूमि में से वादी को घरू वाहमी बंटवारानामा में प्राप्त भूमि का अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। वादी नरेश कुमार व प्रतिवादी गंगा देवी, धन्नी देवी, अमित कुमार जरिए माता गंगा देवी, पायल कुमारी जरिए माता गंगा देवी के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर समझौतानामा पेश किया। समझौतानामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा समझौतानामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। समझौतानामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का काउन्टर क्लेम अंतिम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।
3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की अंतिम डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते है।

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी इस अमर की जारी की जाती है। कि राजस्व ग्राम 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 32/33 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 1.304 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	नरेश कुमार पुत्र धर्मा राम जाति मेघवाल निवासी 8 एम एल डी ए तहसील घडसाना। (0.652 हैक्टेयर भूमि)	30 एफ	18	13 14 16/2 17	0.127 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.173 हैक्टेयर 0.099 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी	1.05 2.10 1.44 0.82
2	गंगा देवी पत्नी मोटाराम जाति मेघवाल निवासी 8 एम एल डी ए तहसील घडसाना। नाबालिग अमित कुमार पुत्र मोटा राम जरिए माता गंगा देवी पत्नी मोटाराम जाति मेघवाल निवासी 8 एम एल डी ए तहसील घडसाना। नाबालिग पायल कुमारी पुत्री मोटा राम जरिए माता गंगा देवी पत्नी मोटाराम जाति मेघवाल निवासी 8 एम एल डी ए तहसील घडसाना। धनी देवी पत्नी धर्माराम जाति मेघवाल निवासी 8 एम एल डी ए तहसील घडसाना। (0.652 हैक्टेयर ब.हि.ब भूमि)	30 एफ	18	16/2 17 18 19/2	0.055 हैक्टेयर 0.154 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.190 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी	0.46 1.28 2.10 1.58

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। सहमति का समझौतानामा दिनांक 07.11.2025 निर्णय का एक भाग माना जाऐगा। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)**}**
सहायक कलेक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)**}**
सहायक कलेक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी}

(civil procedure code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

नरेश कुमार आदि बनाम गंगा देवी आदि

धारा अन्तर्गत 53, 88, 91 आरटीए मुकदमा नम्बर 342/2025

निर्णय दिनांकः-22.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 32/33 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 1.304 हैक्टेयर भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
नरेश कुमार पुत्र धर्मा राम जाति मेघवाल निवासी 8 एम एल डी ए तहसील घडसाना। (0.652 हैक्टेयर भूमि)	30 एफ	18	13 14 16/2 17	0.127 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.173 हैक्टेयर 0.099 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी	1.05 2.10 1.44 0.82
गंगा देवी पत्नी मोटाराम जाति मेघवाल निवासी 8 एम एल डी ए तहसील घडसाना। नाबालिग अमित कुमार पुत्र मोटा राम जरिए माता गंगा देवी पत्नी मोटाराम जाति मेघवाल निवासी 8 एम एल डी ए तहसील घडसाना। नाबालिग पायल कुमारी पुत्री मोटा राम जरिए माता गंगा देवी पत्नी मोटाराम जाति मेघवाल निवासी 8 एम एल डी ए तहसील घडसाना। धनी देवी पत्नी धर्माराम जाति मेघवाल निवासी 8 एम एल डी ए तहसील घडसाना। (0.652 हैक्टेयर ब.हि.ब भूमि)	30 एफ	18	16/2 17 18 19/2	0.055 हैक्टेयर 0.154 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.190 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी	0.46 1.28 2.10 1.58

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। सहमति का समझौतानामा दिनांक 07.11.2025 निर्णय का एक भाग माना जाऐगा।

आज दिनांक 24.12.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम आर.ए.एस.}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुदई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	100	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**104**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम आर.ए.एस.}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/2025/941 दिनांकः 24.12.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

[श्योराम (आर.ए.एस)]
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर